डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1280 **New Delhi: 03.10.2022**

श्री भोपाल सिंह
पुत्र श्री नत्थू सिंह
ग्राम बित्तौडा तहसील खतौली
जिला मुज़फ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-9412531110

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 17.09.2022, जो CGM/मेरठ के कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.09.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक–एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग–VIII दिनांक: 27.09.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ),
डीएफसीसीआईएल, कार्पोरेट ऑफिस,
न्यू दिल्ली।

विशयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आवेदनकर्ता भोपाल सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, ग्राम टिटौडा, जनपद मुजफ्फरनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.09.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नवत सूचना चाही गयी है:–

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	प्रार्थी के आर0 एण्ड आर0 के पैसे से सम्बन्धित पत्र एस.एल.ए.ओ., मुजफ्फरनगर के पत्रांक सं0 4069 दिनांक 25.08.2022 को लिखा गया, की छाया प्रति संलग्न है। उस पर हुई कार्यवाही की लिखित सूचना की आव यकता है।	सक्षम प्राधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र के संदर्भ में डीएफसी के पत्र सं0 एमटीसी / ईएन / भूमि अधिग्रहण / पब्लिक ग्रिवांस दिनांक 29.08.2022 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा आर0 एण्ड आर0 के भुगतान हेतु रेल मंत्रालय / रेलवेबोर्ड के भासनादे I 193/2019 एवं पत्रांक–E(NG)II/2010/RC-5/1, New Delhi, Dated-11.11.2019 के क्रम में आख्या मांगी गई है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

27/9/2022

उप परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपिः

(1) मुख्य महाप्रबन्धक / डीएफसीसीआईएल, मेरठ – को सूचनार्थ हेतू प्रेशित है।
(2) जीएम / एमए / ईसी–III – को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतू प्रेशित है।
(3) जेजीएम / एमए / ईसी–II – को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतू प्रेशित है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
Office: 3rd Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांकः एमटीसी/ईएन/भूमि अधिग्रहण/पब्लिकप्रिवांस   दिनांकः 29.08.2022

सक्षम प्राधिकारी
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद मुजफ्फरनगर।

विषयः— पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन के तहत अनुदान की राशि के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपके कार्यालय का पत्रांक 4069/आठ—स0प्रा0/अ0जि0(वि0/रा0)मुजफ्फरनगर दिनांक 25.08.2022

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें डीएफसी परियोजना से प्रभावित जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम टिटौडा खसरा सं0 645 के कृषक श्री भोपाल सिंह पुत्र नत्थू द्वारा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन के तहत अनुदान की राशि दिये जाने की मांग की गई है।

यह अवगत कराना है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय/रेलवेबोर्ड के शासनादेश 193/2019 एवं पत्रांक—E(NG)II/2010/RC-5/1, New Delhi, Dated- 11.11.2019 के अन्तर्गत भूमि अर्जन से प्रभावित भू—स्वामियों को दिये जाने वाले अनुदान राशि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये हैं। जिसमें उल्लेख किया गया है कि परियोजना प्रमावित कृषक, जो विस्थापित एवं भूमिहीन हुए हैं, उनको अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुजफ्फरनगर अथवा कलेक्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया जाना है तथा अनुदान राशि रू0 5,00,000/— विस्थापित एवं भूमिहीन कृषकों को भूमि के प्रतिकर के हिस्सानुसार विभाजित कर दिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय/रेलवेबोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे अनुदान धनराशि दिये जाने हेतु आख्या आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में डीएफसी द्वारा आपके कार्यालय को पत्र सं0 एम.टी.सी./ई.एन./भूमि अधिग्रहण/मु0नगर/डीटूर—VI दि0 19.01.2022, एम.टी.सी./ई.एन./भूमि अधिग्रहण/ मु0नगर /डीटूर—VI, दि0 27.06.2022, एम.टी.सी./ई.एन./भूमि अधिग्रहण/ मु0नगर/डीटूर—VI, दि0 08.07.2022 व एम.टी.सी./ई.एन./भूमि अधिग्रहण/मु0नगर/डीटूर—VI, दि0 04.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के शासनादेश 193/2019 एवं पत्रांक—E(NG)II/2010/RC-5/1, New Delhi, Dated- 11.11.2019 के दिशा—निर्देशों के अनुसार आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे प्रभावित काश्तकारों का माईक्रोप्लान तैयार कर भुगतान किया जा सके।

1-9-2022

29/8/2022
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।